उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No 400061 /C-6 /Sa-788/ O.A. No.418/2023 /2023 *Dated 29-8-23*

To,

The Registrar General,
Hon'ble, National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001

Sub: **Regarding submission of Joint Committee Report in compliance of the order dated 31.07.2023 in O.A. No.418/2023 In the matter of Nirmal Kumar Tripathi Vs. State of U.P.**

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 31.07.2023 in O.A. No.418/2023 In the matter of Nirmal Kumar Tripathi Vs. State of U.P., The Joint Committee Report is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Sincerely Yours,

Enclosures: As above

(R.K. Singh)
Chief Environment Officer
(Circle-6)

Copy to: Following for information and further necessary action.

Shri Pradeep Misra Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida, District-GB Nagar, 201301.

Chief Environment Officer
(Circle-6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

Joint inspection report for compliance of order dated 31.07.2023 passed by Hon'ble N.G.T., New Delhi in O.A. No. 418/2023, Nirmal Kumar Tripathi V/s State of U.P.

In compliance of the above said order, D.M. Deoria has nominated to ADM (E), Deoria and Member Secretary. U.P.P.C.B., Luknow has nominated to Anil Kumar Sharma, Regional Officer, Gorakhpur as a member for Joint inspection.

The related portion of the Hon'ble N.G.T. order is as mentioned below :

".....2. Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute 2 a Joint Committee comprising of UP State PCB and District Magistrate, Deoria and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

3. Factual and Action taken Report may be submitted within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

4. List for further consideration on 11.09.2023.

In compliance of the said order Joint inspection of alleged site was carried out by Joint team on dated 26.08.2023 in presence of Sri Nirmal Kumar Tripathi complainer, Sri Ram Komal Chaudhary, Junior Engineer & Sri Anil Kumar Gaur, Junior Engineer of U.P. Jal Nigam (urban), Deoria. On the basis of the site inspection, Observation and facts available in records of U.P. Jal Nigam (Urban), Deoria, Detail Joint Inspection Report is enclosed for kind perusal and further necessary action please.

Enclosures:-

Joint inspection report along with annexure 1 to 4.

28/08/2023

(Anil Kumar Sharma)
Regional Officer

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 418/2023 निर्मल कुमार त्रिपाठी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 31 जुलाई, 2023 के अनुपालन में संयुक्त जॉच आख्या

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 418/2023 निर्मल कुमार त्रिपाठी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 31 जुलाई, 2023 में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

.. . . . 2. Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act.2010. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a joint Committee be constituted to verfy the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of UP State PCB and District Magistrate. Deoria and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look in to the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The state PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

उक्त पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में संयुक्त जॉच हेतु जिलाधिकारी महोदय देवरिया द्वारा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) को तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के पत्रांक एच 98816/सी–6/सा0–788/ओ0ए0 नं0 418/2023 दिनांक 03.08.2023 द्वारा अनिल कुमार शर्मा क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गोरखपुर को नामित किया गया। पत्र अभिलेख की छाया प्रति संलग्न है। (संलग्नक–1)

शिकायती स्थल की संयुक्त जॉच दिनांक 26.08.2023 को उत्तर प्रदेश जल निगम के अवर अभियन्ता श्री रामकोमल चौधरी एवं श्री अनिल कुमार गौंड़ तथा शिकायतकर्ता श्री निर्मल कुमार त्रिपाठी की उपस्थिति में किया गया। स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त निम्न तथ्य प्रकाश में आये।

1– शिकायती स्थल जनपद–देवरिया के नगरीय क्षेत्र कुर्ना नाला से कतरारी मोड़ तक निर्माणाधीन नाले के संदर्भ में है, जिसका अक्षांश 26.500503 N एवं देशांतर– 83.743628 E से अक्षांश 26.494135 N एवं देशांतर– 83.762333 E तक पाया गया।

2– प्राप्त अभिलेखों के अनुसार उक्त नाले का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य सेक्टर के सिवरेज एवं जल निकासी योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद देवरिया, देवरिया हेतु स्टार्म वाटर ड्रेनेज के निर्माण हेतु क्षेत्र में जल भराव की समस्या की निदान हेतु जल निकासी हेतु नगर विकास अनुभाग–5 के पत्रांक संख्या 143/2021/8251/नौ–5–2021–61बजट/2020 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 द्वारा प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ के पक्ष में प्राप्त आवंटन एवं स्वीकृति के उपरान्त उत्तर प्रदेश जल निगम देवरिया (नगरीय) इकाई द्वारा किया जा रहा है। आवंटन पत्र की कापी संलग्न है। (संलग्नक–2)

3– उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) देवरिया द्वारा प्राप्त आवंटन/आदेश के अनुक्रम में जनपद–देवरिया में कुर्ना नाला से कतरारी मोड़ होते हुए हनुमान मन्दिर तक एस0बी0आई0 बैंक से रामनाथ देवरिया होते हुए शहीद गेट, परिजात स्टेशनरी से समृद्धि लान होते हुए कचहरी तक, पुलिस लाईन दुर्गा मन्दिर से मेन रोड तक, निरीक्षण भवन पी0डब्लू0डी0 से मेन रोड तक, मेडिकल कालेज के अन्तिम छोर से मेन रोड तक कुल लम्बाई 8.575 कि0मी0, निर्माण किया जाना स्वीकृत है, जिसमें कुर्ना नाला से कतरारी मोड़ तक 2200 मीटर तथा पुलिस लाईन दुर्गा मन्दिर से मेन रोड तक 650 मीटर एवं मेडिकल कालेज के अन्तिम गेट से मेन रोड तक 350 मीटर (कुल लम्बाई 3200 मीटर) का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शिकायती स्थल पर उक्त नाले का निर्माण कार्य दिनांक 07 जनवरी,2022 से प्रारम्भ किया गया है। शेष कार्य किया जाना बाकी है।

4– उक्त नाला खुदाई से निकलने वाली मिट्टी को सड़क मार्ग के विपरीत, नाले की दूसरी तरफ तथा कहीं–कहीं सड़क की तरफ भी रखा गया है, जिसका प्रयोग नालों के दोनो साईड के खुदान की गैप को भराव हेतु प्रयोग में लाया गया है। सम्बन्धित सड़क मार्ग पर मिट्टी भराव से बची हुई मिट्टी कहीं–कहीं रखी पायी गयी है, जो वर्षा के कारण परिवहन मार्ग पर बिखरी हुई है। निरीक्षण के समय बर्षा का मौसम होने के कारण सड़क से धूल का उत्सर्जन होता नहीं पाया गया, परन्तु वर्षा सीजन बन्द होने तथा जल छिड़काव न किये जाने पर मार्ग पर परिवहन से धूल का उत्सर्जन होना स्वभाविक है। स्थल के लिए फोटोग्राफ संलग्न है।

5– नाला निर्माण स्थल पर पूर्व से स्थापित वृक्ष/पेड़ जो कि नाला प्रवाह मार्ग में आ रहे थे, जिसकी संख्या 58 अवगत कराई गयी है, को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया के पत्रांक 1111/7–3 देवरिया दिनांक 05 नवम्बर, 2022 द्वारा निर्गत पेड़ काटने की अनुमति प्राप्त कर वन निगम गोरखपुर द्वारा काटा गया है तथा वन विभाग के शर्तो के अनुसार काटे गये वृक्षों के समानुपात में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया द्वारा दिये गये प्राक्कलन के अनुसार देय धनराशि रू0 10,47,340.00 का भुगतान वन विभाग को किया गया है, जिसका प्रयोग 580 पौधों को लगाने एवं उसकी रख रखाव मद में आने वाले खर्च के अनुरूप वन विभाग द्वारा किया जायेगा। वृक्ष कटान हेतु प्राप्त अनुमति तथा प्राप्त प्राक्कलन की प्रति की छाया प्रति संलग्नक–2 के रूप में संलग्न है।

6– निरीक्षण के समय वर्षा का मौसम होने के कारण नाला निर्माण का कार्य नहीं होता पाया गया। उपस्थित उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण अवधि में नियमानुसार नाला खुदाई एवं निर्माण हेतु लागू नियमों के अनुसार नाला निर्माण क्षेत्र में बैरिकेटिंग, ग्रीन नेट एवं जल छिड़काव का कार्य किया जाता रहा है, जिससे दुर्घटना एवं धूल उत्सर्जन का नियंत्रण हो सके। उक्त परिप्रेक्ष्य में जल निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये फोटोग्राफ संलग्न है।

7– निरीक्षण के समय वर्षा सीजन होने के कारण धूल उत्सर्जन की समस्या विद्यमान नहीं पायी गयी। निर्माण स्थल के सड़क मार्ग के किनारे निस्तारित मिट्टी को हटाने के लिए उपस्थित जल निगम के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया है। स्थल के अद्यतन फोटोग्राफ संलग्न है। संलग्नक–4

8– निरीक्षण के समय उपस्थित शिकायतकर्ता श्री निर्मल कुमार त्रिपाठी द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण अवधि में नाला निर्माण के समानान्तर चल रही सड़क मार्ग पर जगह–जगह मिट्टी निस्तारित की गयी थी, जिसको वर्तमान में हटा दिया गया है परन्तु निर्माण अवधि में वाहनों के आवागमन से धूल उत्सर्जन उत्पन्न हो रहा था, तथा काटे गये वृक्षों की संख्या प्राप्त लाईसेंस से अधिक है। परन्तु इसका कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया। जल निगम प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कटान किये जाने वाले वृक्षों की संख्या का निरीक्षण एवं निर्धारण स्वयं वन विभाग एवं जल निगम की संयुक्त टीम द्वारा किया गया है अतः शिकायतकर्ता की शिकायत निराधार है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त नाला निर्माण का कार्य नगर पालिका क्षेत्र में जल भराव की समस्या के समाधान हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की जनहित में नियोजित योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा उपरोक्त वर्णित आवंटन के आधार पर किया जा रहा है। अतः कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) देवरिया को पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन सुनिश्चित रखते हुए शेष नाला का निर्माण का कार्य किया जाना जनहित में होगा।

अतः आख्या में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

26/08/2023
(अनिल कुमार शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गोरखपुर।

26.08.23
(गौरव श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
देवरिया।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संलग्नक-1
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD 8

Ref. No. 1198816 /सी.-6/सा0-788/O.A. No.418/2023/2023 Dated 3-8-23
मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण/
ई-मेल द्वारा

सेवा में,
जिलाधिकारी,
देवरिया।

विषयः मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित O.A. No.418/2023 निर्मल कुमार त्रिपाठी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2023 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित O.A. No.418/2023 निर्मल कुमार त्रिपाठी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है :-

".......2. Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of UP State PCB and District Magistrate, Deoria and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

3. Factual and Action taken Report may be submitted within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

4. List for further consideration on 11.09.2023.........."

मा0 अधिकरण द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एवं जिलाधिकारी देवरिया की एक संयुक्त समिति गठित करते हुये प्रकरण पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने एवं 01 माह में एक्शन टेकन रिपोर्ट मा0 अधिकरण में दाखिल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से श्री अनिल कुमार शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को सदस्य एवं नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जिनका मो0 नम्बर-07839891748, ई-मेल rogorakhpur@uppcb.in है।

अतः उपरोक्त वर्णित आदेश की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

संलग्नकः-यथोपरि।

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी, देवरिया से समन्वय स्थापित करते हुये मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कराये।

सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

जिलाधिकारी महोदय, देवरिया।

संदर्भः– मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में याजित ओ0ए0 नं0 418/2023 निर्मल कुमार त्रिपाठी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 सं0 418/2023 निर्मल कुमार त्रिपाठी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत हैः–

"........2. Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute 2 a Joint Committee comprising of UP State PCB and District Magistrate, Deoria and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

3. Factual and Action taken Report may be submitted within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

4. List for further consideration on 11.09.2023.

माननीय अधिकरण द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिलाधिकारी महोदय, देवरिया की एक संयुक्त समिति गठित करते हुए प्रकरण पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु 01 माह में एक्शन टेकेन रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेश पारित किये गये है।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में सदस्य सचिव महोदय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पत्रांक सं0 एच. 98816/सी0–6/सा0–788/ओ0ए0 नं0 418/2023/2023, दिनांक 03.08.2023 जो आपको सम्बोधित है, द्वारा अधोहस्ताक्षरी/क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को सदस्य एवं नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, **संलग्नक (पताक–क)**

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त पारित आदेश के अनुक्रम में प्रकरण पर संयुक्त निरीक्षण/जाँच किये जाने हेतु जिला प्रशासन की ओर से सक्षम अधिकारी को नामित किये जाने हेतु पत्रावली आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

उपरोक्त वाद हेतु ADM-E को नामित किया जाता है।
(signature) 09-8-23

(signature) 09/8/2023
(अनिल कुमार शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

3-11-2021 संलग्नक 10

कम्प्यूटर संख्या-1377746
संख्या-143/2021/8251/नौ-5-2021-61बजट/2020

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक (नगरीय)
डायरी सं0 4509
दिनांक 02.11.2021

1091
08/11/2021

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांक 22 अक्टूबर, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सेक्टर के 'सीवरेज एवं जल निकासी' योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, देवरिया जनपद-देवरिया हेतु स्टार्म वाटर ड्रेनेज से संबंधित परियोजना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(नगर), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-120/नगर-2/033-0304/2021, दिनांक 25.05.2021 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सेक्टर के 'सीवरेज एवं जल निकासी' योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, देवरिया जनपद-देवरिया हेतु स्टार्म वाटर ड्रेनेज से संबंधित परियोजना हेतु रूपये 4133.32 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **रूपये 500.00 लाख (रूपये पांच करोड़ मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों, प्रतिबन्धों एवं विवरण के अनुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम तथा विशेष सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।

(2) निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृति की गई है। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) प्रशासकीय विभाग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 के प्रस्तर-5 के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करेंगे।

निदेशक (नगरीय)

(4) नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी योजना से संबंधित शासनादेशों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाये।

(5) प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्यों को बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करने इत्यादि का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(6) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसकी पुष्टि कर ली जाय तथा निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणो/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय ।

(7) प्रश्नगत कार्य प्रारंभ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

(8) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था पर होगी तथा कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(10) प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(11) संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाये।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- स्वीकृत की गई धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-107-मल-जल सेवाएं-03-सीवरेज एवं जल निकासी हेतु व्यवस्था-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-9-1690/दस-2021-2022, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 द्वारा उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
22.10.2021
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव

संख्या-143/2021/8251/नौ-5-21-61बजट/2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
3- जिलाधिकारी, देवरिया, उत्तर प्रदेश।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, देवरिया, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, देवरिया।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10- निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- सूपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से
22.10.2021
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-22/10/2021

ण संख्या:-	143
। आदेश संख्या:-	001-143-2021-8251-9-5-2021-61B-2020
दान संख्या:-	37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
खाशीर्षक:-	2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय) 02 - मल-जल तथा सफाई 107 - मल - जल सेवाएं 03 - सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000000 767797000	50000000 767797000
	योग	वर्तमान प्रगामी	50000000 767797000	50000000 767797000

र्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़
प्रगामी आवंटन):- रूपया छिहत्तर करोड़ सतहत्तर लाख सत्तानवे हजार

(अवधेश कुमार मिश्रा)
उप सचिव

संलग्नक-3

कार्य-22
103
991
16.8.22

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पत्रांक 353 / 2-6 देवरिया, दिनांक, अगस्त 08 / 2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रथम निर्माण खण्ड, उ0प्र0, जल निगम (नगरीय)
भुजौली कालोनी, देवरिया ।

विषय :– **मा0 मुख्यमंत्री जी के घोषणा के कम में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, देवरिया हेतु स्वीकृति "आर0सी0सी0 स्टार्म वाटर ड्रेनेज" के निर्माण में नाले के मार्ग रेखा में पड़ने वाले 58 वृक्षों को हटाने हेतु संशोधित क्षतिपूरक आदि धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में।**

संदर्भ :– आपके कार्यालय का पत्र सं0– 964 / कार्य–22 / 100 दिनांक 08.08.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में एवं आपके संदर्भित पत्र के कम में सहानूभुति पूर्वक विचार विमर्श के उपरान्त तथा आपके अनुरोध दिनांक 08.08.2022 के कम में क्षतिपूरक सहित अन्य व्यय की धनराशि को संशोधित करते हुए 58 वृक्ष हटाने हेतु क्षतिपूरक धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:–

क0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	दर (रू0 में)	धनराशि (रू0में)
1	2	3	4	5
1	आर0सी0सी0 स्टार्म वाटर ड्रेनेज के निर्माण में 58 वृक्षों के हटाने के सापेक्ष 580 पौधों को HDPE Iron Support Tree Guard में वृक्षारोपण व अनुरक्षण कार्य	580	1802.00	1045160.00
2	16 अदद वृक्षों के पातन हेतु अनुज्ञा शुल्क 100.00 रू0 प्रति वृक्ष	16	100.00	1600.00
3	58 अदद वृक्षों के छपान की धनराशि 10.00 रू0 प्रति वृक्ष	58	10.00	580.00
	योग :–			**1047340.00**

उपरोक्त के अतिरिक्त वृक्षों के पातन हेतु वन निगम के एस0ओ0आर0 के अनुसार पातन एवं ढुलान की धनराशि अलग से जमा करना होगा।

श्री अभिलाष यादव स0अ0

अतः उक्त धनराशि जमा कराकर तत्काल कार्यवाही पूर्ण करावे।

भवदीय

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

E/ RAJESH PANDEY/DM.BABU

एच0डी0पी0ई0 आयरन सपोर्ट ट्री गार्ड में वृक्षारोपण कार्यों की सीलिंग दरे श्रम मजदूरी 201 प्रति मानव दिवस (प्रति 100 एच0डी0पी0ई0 आयरन ट्रीगार्ड)

क्र0स0	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि (रू0 में)
	प्रथम चरण (एच0डी0पी0ई0 आयरन सपोर्ट ट्रीगार्ड निर्माण एवं रोपण)				
1	स्थल सफाई एवं मलवा फिकवाई व गड्ढा खुदान (0.60X0.60X0.60)	100	प्रति गड्ढा	20.10	2010.00
2	गड्ढो में गोबर की खाद	100	प्रति गड्ढा	10.42.	1042.00
3	गड्ढो में कीट नाशक दवा कय तथा मिलाना	100	प्रति गड्ढा	1.52.	152.00
4	गड्ढो में गाबर की खाद मिलाकर भरना	100	प्रति गड्ढा	1.60.	160.00
5	पौधो का मूल्य ढुलान सहित (विभागीय पौधशाला से)	100	प्रति पौध	89.51	8951.00
6	पौधों का स्थानीय ढलान	100	प्रति पौध	2.49.	249.00
7	पौधारोपण सिंचाई व थावला बनवाई	100	प्रति पौध	5.63.	563.00.
8	एच0डी0पी0ई0 आयरन सपोर्ट ट्री गार्ड मोनोग्राम सहित (निम्नलिखित स्पेसिफिकेशन के अनुसार)	100	प्रति ट्रीगार्ड	1180.00.	118000.00.
9	पौधों की सिंचाई मय डीजल की कीमत आदि (5बार)	500	प्रति पौध	7.42.	3710.00
10	पौधों की निराई–गुड़ाई एवं थावला बनवाई (2बार)	200	प्रति पौध	1.29.	258.00.
11	अन्य व्यय सुरक्षा आदि सहित	100	प्रति पौध	16.51.	1651.00.
		योग :–			136746.00
		प्रति ट्रीगार्ड			1367.00.

क्र0स0	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि (रू0 में)
	द्वितीय चरण (वृक्षारोपण अनुरक्षण)				
1	पौधों की सिंचाई अप्रैल से जून 12 बार	1200	प्रति पौध	8.04.	9648.00.

2	पौधों की सिंचाई अक्टूबर से मार्च तक (5 बार)	500	प्रति पौध	7.35.	3675.00.
3	पौधों की निराई–गुड़ाई (2बार)	200	प्रति पौध	1.29.	258.00.
4	एच0डी0पी0ई0 आयरन सपोर्ट ट्री गार्ड की मरम्मत पौधों का बदलना सुरक्षा आदि सहित 10 प्रतिशत अनुमानित	100	प्रति	111.58.	11158.14.
5	अन्य आकस्मिक व्यय	100	प्रति पौध	10.70.	1070.00.
		योग :–			25809.14
		प्रति ट्रीगार्ड			258.00

क्र0स0	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि (रू0 में)
तृतीय चरण (वृक्षारोपण अनुरक्षण)					
1	पौधों की सिंचाई अपैल से जून 8 बार	800	प्रति पौध	8.04.	6432.00.
2	एच0डी0पी0ई0 आयरन सपोर्ट ट्री गार्ड मरम्मत पौध बदलना आदि (सुरक्षा आदि सहित 10 प्रतिशत क्षति अनुमानित)	100	प्रति	111.58.	11158.14.
3	अन्य आकस्मिक व्यय	100	प्रति	1.47.	147.00.
		योग :–			**17737.14.**
		प्रति ट्रीगार्ड			**177.00**

सारांश

क0सं0	प्रति एच0डी0पी0ई0 आयरन सपोर्ट ट्री गार्ड निर्मित कर रोपण की लागत	धनराशि (रू0 में)
1	प्रथम चरण	1367.00.
2	द्वितीय चरण	258.00.
3	तृतीय चरण	177.00.
योग :–		**1802.00.**

R. Jagdesh

क्षेत्रीय निदेशक

सामाजिक वानिकी, ...

निम्नांकित धनराशि में रु० 10473402/- मात्र बैंकड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया गया दिनांक – 28-10-2022

5th R. bill (18% GST)	Testing released			13649/-	13650/-	6825/-	–	668812/-
	D.A					D.A		E.E
6) M.B. No. 686(L) Pg. 36. 6th R. bill. (UPPCL & Van Vibhag)	6165760/-	D.A	–	4/-	123315/-	–	–	~~6165760/-~~ 6042445/-
						D.A		E.E
	Total	Mob. Adv. Recovery	Testing	I. Tax	L. Cess	G.S.T	Other	Net Pay

Paid Vide C.D.O. No. 1948 Dt. 28/10/22
Cheque/~~Cash~~ Rs. 6042445/-
017420

17

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पत्रांक 1007/2-6 देवरिया, दिनांक, अक्टूबर 21/2022

कार्य-22
163
1420
2-11-2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
प्रथम निर्माण खण्ड
उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)।
भुजौली कालोनी, देवरिया।

विषय :- मा0 मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गयी घोषणा के कम में देवरिया नगर पालिका में वर्षा जल निकासी हेतु निर्माणाधीन आर0सी0सी0 स्टार्म वाटर ड्रेन के संरेखन में पड़ने वाले 58 वृक्षों को हटाने हेतु क्षतिपूरक धनराशि रू0 1047340.00 जमा करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- इस कार्यालय के पत्र सं0-427/2-6, दिनांक 20.08.2022, पत्रांक 488/7-3, दिनांक 26.08.2022 तथा पत्रांक 867/2-6, दिनांक 07.10.2022।

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा उक्त विषयगत प्रकरण में बाधित 58 वृक्षों के पातन के सापेक्ष 580 पौधों के रोपण एवं अनुरक्षण की धनराशि रू0 1047340.00 प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया के पदनाम से जमा करने हेतु लिखा गया है। परन्तु आज तक उक्त धनराशि प्रभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि इस सम्बन्ध में आप द्वारा अन्डरटेकिंग भी दिया गया है, परन्तु वांछित धनराशि जमा नहीं किया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त विषयक वांछित धनराशि अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से तुरन्त जमा करने की कृपा करें।

भवदीय

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- मुख्य विकास अधिकारी, देवरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया

कार्य.22
167
1447
9-11-2022

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक ।।।। /7-3 देवरिया, दिनांक, नवम्बर 5 /2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
प्रथम निर्माण खण्ड
उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)।
भुजौली कालोनी, देवरिया।

विषय :– मा0 मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गयी घोषणा के कम में देवरिया नगर पालिका में वर्षा जल निकासी हेतु निर्माणाधीन आर0सी0सी0 स्टार्म वाटर ड्रेन के संरेखन में पड़ने वाले 58 वृक्षों को हटाने हेतु क्षतिपूरक धनराशि रू0 1047340.00 जमा करने के सम्बन्ध में ।

संदर्भ :– आपके कार्यालय के पत्र संख्या–1407 / कार्य–22 / 161 दिनांक 28.10.2022 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा उक्त विषयक प्रभावित 58 वृक्षों के सापेक्ष 580 पौधों के आयरन ट्रीगार्ड में वृक्षारोपण, अनुरक्षण आदि की धनराशि रू0–1047340.00 "प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया" के पदनाम से ड्राफ्ट / चेक द्वारा जमा करने की कृपा करें। R.T.G.S./NEFT से धनराशि जमा करने हेतु प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया का एकाउण्ट का विवरण निम्न प्रकार है:–

1–पदनाम:– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया ।

2–बैंक का नाम:– पंजाब नैशनल बैंक सिविल लाईन देवरिया ।

3–खाता संख्या:– 1877000104059174

4–आई0एफ0एस0सी0 कोड :–PUNB0187700

5–मोबाईल नं0 7839435132

उपरोक्तानुसार लेखा में रू0–1047340.00 मात्र की धनराशि जमा करने का कष्ट करे।

श्री अविनाश यादव स०अ०

भवदीय

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया

संलग्नक-5

Latitude: 26.49699
Longitude: 83.755013
Elevation: 96.63±35 m
Accuracy: 20.7 m
Time: 08-26-2023 13:21
Note: Drain construction site of Deoria
Powered by NoteCam

realme
Shot on realme 8s 5G

realme
Shot on realme 8s 5G

Latitude: 26.496876
Longitude: 83.755444
Elevation: 96.63±50 m
Accuracy: 18.2 m
Time: 08-26-2023 13:14
Note: Drain construction site of Deoria
Powered by NoteCam

Latitude: 26.500503
Longitude: 83.743628
Elevation: 96.64±54 m
Accuracy: 72.3 m
Time: 08-26-2023 13:30
Note: Drain construction site of Deoria
Powered by NoteCam

GPS Map Camera
Amethi Ma
Google
Amethi, Uttar Pradesh, India
FQW5+3W9, Amethi, Uttar Pradesh 274001, India
Lat 26.494965°
Long 83.759733°
21/12/22 11:58 AM